Mail send on 6-11-17
Reg. Service

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ

पत्रांक 29758 /लेखा–1/2017–18 दिनांक 6-11-17

समस्त शाखा प्रबंधक
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

शाखाओं द्वारा वसूल की गई धनराशि तथा प्रधान कार्यालय को प्रेषित की गई धनराशि की समीक्षा करने पर यह संज्ञान में आया कि शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय के पत्रांक सी–23 दिनांक 22.05.2017 तथा सी–/लेखा/2017–18 दिनांक 25.10.2017 में दिये गये निर्देशों की अवहेलना करते हुए शाखाओं द्वारा शाखा पर प्राप्त धनराशि मानक के अनुरूप प्रधान कार्यालय प्रेषित नहीं की गयी है। जोकि गम्भीर वित्तीय अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.04.2017 से 31.10.2017 तक शाखा की कुल वसूली एवं अन्य मदों में प्राप्त धनराशि तथा उसके सापेक्ष प्रधान कार्यालय प्रेषित एवं विभिन्न मदों में व्यय की गयी धनराशि की सूचना दिनांक 10.11.2017 तक मण्डलीय शाखाओं के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की ई–मेल आई0.डी0 ddoldbsubhash@gmail.com के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें यदि किसी शाखा द्वारा त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक सूचना प्रेषित की जाती है तो सम्बंधित शाखा आंकिक लेखा एवं प्रबंधक वित्तीय अनियमितता हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

प्रारूप

क्र0सं0	शाखा का नाम	कुल प्राप्तियां						
		वसूली	अनुदान	अदेय प्रमाण पत्र	अंशधन	प्र0का0से प्राप्त	अन्य प्राप्तियां	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9

कुल व्यय						
वेतन एवं भत्ते	सावधि भुगतान	ऋण वितरण	प्र0का0को प्रेषित	अन्य व्यय	योग	व्यय का अन्तर
10	11	12	13	14	15	16(9–15)

(शैलेश आनन्द)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलीय शाखा प्रबंधक उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचनायें संकलित कर समयान्तर्गत प्रधान कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें।
2. समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस आशय से कि वांछित सूचनाऐं प्रेषित करते हुए बैंक में वित्तीय अनुशासन सुदृढ करने में अपना सहयोग करें।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी